Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 24-2020/Ext.] CHANDIGARH, SATURDAY, FEBRUARY 15, 2020 (MAGHA 26, 1941 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 15th February, 2020

No. 01-HLA of 2020/13/3025.— The Haryana Private Universities (Amendment) Bill, 2020, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 01- HLA of 2020

THE HARYANA PRIVATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) BILL, 2020

A

BILL

further to amend the Haryana Private Universities Act, 2006.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

1. This Act may be called the Haryana Private Universities (Amendment) Act, 2020.

Amendment of section 6 of Haryana Act 32 of 2006.

2. In section 6 of the Haryana Private Universities Act, 2006 (hereinafter called the principal Act),-

(i) for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted; and

(ii) the following provisos shall be added, namely:-

"Provided that the Government may, on the request of the sponsoring body, change the name of the University on remittance of a fee of five lakh rupees by the sponsoring body:

Provided further that the Government may, in view of the special status given by the Ministry of Human Resource Development, Government of India for declaring a private university as an Institution of Eminence Deemed to be University under the UGC (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) Regulations, 2017, or any other special status given by the Ministry of Human Resource Development, Government of India or the Universities Grants Commission Act, 1956 (Central Act 3 of 1956), as the case may be, withdraw the status of such University under this Act by omitting its name in the Schedule. However, the provisions of this Act shall continue to apply to such University until the date of notification under Section 3 of the Universities Grants Commission Act, 1956 (Central Act 3 of 1956).".

Amendment of Schedule to Haryana Act 32 of 2006.

3. In the Schedule to the principal Act,-

(i) serial number 1 and entries thereagainst shall be omitted;

(ii) for serial number 9 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

"9. The Sushant University District Gurugram";

(iii) after serial number 23 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be added, namely:-

"24. Rishihood University District Sonepat".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

O. P. Jindal Global University is a private University established under the Haryana Private Universities Act, 2006. O.P. Jindal Global University has submitted application before the Ministry of Human Resource Development, Government of India under the Universities Grants Commission (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) Regulations, 20l7 to declare it as an Institution of Eminence Deemed to be University.

Under Clause 6.1 (x) of the Regulations in case any State Private University is recommended for selection as an Institution of Eminence, it has to submit an undertaking from the respective State Government that the State Government will introduce an appropriate legislation in the State Legislature for withdrawal of Private University status before declaring them as Institution of Eminence Deemed to be University.

Further, an undertaking was given by the Haryana State Government that it would introduce appropriate legislation in the State Legislature withdrawing the status of O.P. Jindal Global University as a Private University, under the Haryana Private Universities Act, 2006. It is also provided in the proposed Amendment Act that this amendment would come into force only from the date of publication of the notification declaring O.P. Jindal Global University as an Institution of Eminence Deemed to be University by the Central Government in the Official Gazette under Section 3 of the UGC Act, 1956.

As per the provision envisaged in the present Haryana Private Universities Act, 2006 there is no scope for the change of name of an established Private University under the Act. Therefore, to insert a clause for change of name is also required and therefore an amendment for insertion of such clause in the principal Act has also been introduced.

Further, there is a need for creation and expansion of educational institutions for improving opportunities of higher education for the youth of the State. In order to accommodate the growth of students in higher education, and also to cross the target of 30% gross enrolment ratio (GER), we need to roughly double the number of institutions at all levels. The Government intervention would not be adequate to meet this benchmark in higher education. We need to enlist the participation of private sector in a major way. Haryana Private Universities Act, 2006 has been brought essentially to rope in private sector to supplement the initiative of Government in expanding the capacity in higher education and upscaling its standards.

To achieve the objectives enshrined in the Act, proposal has been also formulated for setting up of Rishihood University, Sonipat.

Hence, this Bill.

KANWAR PAL,
Education Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 15th February, 2020.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2020 का विधेयक संख्या 01-एच०एल०ए०

हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020
हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006
को आगे संशोधित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम ।

1. यह अधिनियम हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2020, कहा जा सकता है।

2006 का हरियाणा अधिनियम 32 की धारा 6 का संशोधन।

2. हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 6 में, –

(i) अंत में विद्यमान''।'' चिह्न के स्थान पर, '':'' प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा

(ii) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:–

''परन्तु सरकार प्रायोजक निकाय के अनुरोध पर, प्रायोजक निकाय द्वारा पाँच लाख की फीस के भुगतान पर विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित कर सकती है:

परन्तु यह और कि सरकार, यू. जी. सी. (समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान) विनियम, 2017 के अधीन समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान के रूप में निजी विश्वविद्यालय घोषित करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिए गए विशेष स्टेटस या मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का केंद्रीय अधिनियम 3), जैसी भी स्थिति हो, द्वारा दिए गए किसी अन्य विशेष स्टेटस के दृष्टिगत अनुसूची में इसके नाम का लोप करते हुए इस अधिनियम के अधीन ऐसे विश्वविद्यालय के स्टेटस को वापिस ले सकती है। तथापि, इस अधिनियम के उपबंध ऐसे विश्वविद्यालय को अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का केंद्रीय अधिनियम 3) की धारा 3 के अधीन अधिसूचना की तिथि तक लागू रहेंगे।''।

2006 का हरियाणा अधिनियम 32 की अनुसूची का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की अनुसूची में,–

(i) क्रम संख्या 1 और उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 9 और उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

''9. सुशांत विश्वविद्यालय जिला गुरूग्राम'';

(iii) क्रम संख्या 23 और इसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:–

''24. ऋषिहुड विश्वविद्यालय जिला सोनीपत''।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

ओ0 पी0 जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित एक निजी विश्वविद्यालय है। ओ0 पी0 जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम 2017 (समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान) के अधीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान घोषित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

विनियमों के खंड 6.1 (X) के तहत यदि किसी राजकीय निजी विश्वविद्यालय द्वारा एक समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान के रूप में चयन के लिए सिफारिश की जाती है, तो उसे संबंधित राज्य सरकार से इस संबधं में एक उपक्रम प्रस्तुत करना होगा कि राज्य सरकार राज्य विधान मण्डल में उस निजी विश्वविद्यालय को समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान घोषित करने से पूर्व निजी विश्वविद्यालय का दर्जा छोड़ने के लिए उचित विधान लाएगी।

इसके अतिरिक्त, उपरोक्त आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हरियाणा राज्य सरकार द्वारा उपक्रम पत्र दिया गया था कि वह राज्य विधानसभा में हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 के तहत ओ0 पी0 जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय को निजी विश्वविद्यालय का दर्जा वापिस लेने हेतु उचित विधान लाएगी। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित संशोधन अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि यह संशोधन ओ0 पी0 जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय को समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान घोषित करने बारे केन्द्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में यू0जी0सी0 अधिनियम 1956 की धारा 3 अनुसार अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 में किए गए वर्तमान प्रावधान के तहत एक स्थापित निजी विश्वविद्यालय के नाम में परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए, स्थापित निजी विश्वविद्यालय का नाम बदलने के लिए मुख्य अधिनियम में इस तरह का एक खंड सम्मिलन के लिए एक संशोधन पेश किया गया है।

इसके अतिरिक्त, राज्य के युवाओं को उच्चतर शिक्षा में बेहतर अवसर प्रदान करने हेतु शैक्षणिक संस्थाओं की संरचना और विस्तार की आवश्यकता है। उच्चतर शिक्षा में विद्यार्थियों की वृद्धि को समायोजित करने की व्यवस्था में और 30% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने के लिए हमें सभी स्तरों पर संस्थाओं की संख्या में मोटे तौर पर दोहरी वृद्धि करने की आवश्यकता है। उच्चतर शिक्षा में इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार का हस्तक्षेप पर्याप्त नहीं होगा। हमे निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रमुख रूप में शामिल करने की आवश्यकता है। उच्चतर शिक्षा और इसके मानकों के पैमाने की क्षमता का विस्तार करने में सरकार की पहल के अनुपूरक में हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 को अनिवार्यतः लाया गया है।

वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जिला सोनीपत में ऋषिहुड, विश्वविद्यालय स्थापित करने के उद्देश्य से एक प्रस्ताव का प्रतिपादन किया गया है।

अतः बिल प्रस्तुत है ।

कंवर पाल,
शिक्षा मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़:
दिनांक 15 फरवरी, 2020.

आर० के० नांदल,
सचिव।

8692—H.V.S.—H.G.P.,Pkl.